

13.06.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2017 / 00133

अपील संख्या 39 / 2017 ( 223 आर.टी.एक्ट)

उनवान:- भंवर सिंह बनाम फकरुदीन वगै०

वकील अपी. उप. बहस सुनी गई। वकील अपी. ने बहस के दौरान कथन किया कि अधि. न्याया. ने मौके के विपरीत बताये गये कुर्रो के आधार पर अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जबकि पटवारी हल्का नें कब्जे के आधार पर कुरे भेजे थे। अधि. न्याया. के कब्जे के आधार पर बनाये गये कुर्रो को ध्यान में रखते हुये अन्तिम निर्णय करना चाहिये था। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वकील अपी. की बहस पर मनन किया तथा पत्रा० का अवलोकन किया गया। अधि. न्याया. ने कब्जे के अनुसार बनाये गये कुर्रो को ध्यान में न रखते हुए निर्णय पारित किया है जबकि निर्णय पारित करते समय कब्जे के आधार पर बनाये गये कुर्रो को ध्यान में रखते हुये अन्तिम निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी नगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कब्जे के आधार पर तहसील नगर से कुर्रजात रिपोर्ट तलब कर उसी रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय पारित करें। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official